बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 275537 पटना, दिनांक- 17/6/16

ग्रा0वि0-15-बैठक-18/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,

जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार ।

सभी उप विकास आयुक्त, बिहार ।

विषय : **लोहिया स्वच्छता योजना/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम /योजना हस्तांतरण के संबंध में ।**

प्रसंग : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के संकल्प संख्या पी.एच./वि.ज.स्व.नि.-107/2016-741 दिनांक-01.06.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि अब लोहिया स्वच्छता योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाना है । उक्त आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई किया जाय :-

1. जिला जल एवं स्वच्छता समिति को लोहिया स्वच्छता योजना/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से संबंधित सभी दायित्व और कार्यक्रम/ योजना की अवशेष राशि, देयता, लेखा, अभिलेख एवं इनके तहत कार्यरत संविदा आधारित मानव बल सहित संबंधित संचिकाएँ एवं अभिलेखों के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को संकल्प निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर हस्तांतरित कर दिया जाना है । इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का पत्रांक-772 दिनांक-03.06.2016 निर्गत है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है । इस पत्र में दिए गए प्रपत्र को पूर्णरूपेण अपनी देख रेख में तैयार कराकर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को भिजवाना सुनिश्चित किया जाय । साथ ही साथ जिला स्तर पर भी जिला जल एवं स्वच्छता समिति का हस्तांतरण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को कराना सुनिश्चित किया जाय एवं इसके संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

2. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) में लोहिया स्वच्छता योजना /स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक स्थान का आवंटन और एक कोषांग का गठन किया जाय। इसके लिए अन्य आवश्यक सामग्री यथा अलमीरा, टेबल, कुर्सी आदि की व्यवस्था लोहिया स्वच्छता योजना /स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना की प्रशासनिक मद से की जाय ।

3. जिला एवं प्रखंड स्तर पर लोहिया स्वच्छता योजना /स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मी अगले आदेश तक यथावत् कार्य करेंगे तथा उनके मासिक वेतन एवं देय भत्तों का भुगतान पूर्ववत् किया जाय ।

4. जिला स्तर पर लोहिया स्वच्छता योजना /स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु जो बैंक खाता संधारित है, उनका हस्तांतरण अपनी देख रेख में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को करा दिया जाय । इस हेतु योजना अंतर्गत 31 मार्च 2016 तक का अंकेक्षित प्रतिवेदन तथा हस्तांतरण की तिथि के पूर्व दिन तक वित्तीय व्यवहार (Financial Transaction) का अनांकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया जाय । इसके उपरांत खाता का संचालन निदेशक, लेखा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा उप विकास आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा । इसके संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्यालय आदेश संख्या- पी.एच/ बि.ज.स्व.मि.-1021/12-04 दिनांक- 26.11.2015 में उल्लेखित प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ जो कार्यपालक अभियंता सह-सदस्य सचिव जिला जल एवं स्वच्छता समिति को दी गई हैं, अगले आदेश तक वही शक्तियाँ निदेशक, लेखा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सह सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के रूप में व्यवहार करेंगे।

5. जिला पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से जिलों में पदस्थापित निदेशक, लेखा को सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के रूप में नामित करते हुए स्पष्ट निदेश दिया जाय कि वे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता से आवश्यक सहभागिता स्थापित करते हुए कार्य करें । कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सदस्य सचिव का प्रभार उपर्युक्त कंडिका-4 के अनुपालन के उपरांत ही निदेशक लेखा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सौंपेंगे ।

विश्वासभाजन

17/6/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

ज्ञापांक-275537 पटना दिनांक-17/6/16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/6/2016

सचिव

ज्ञापांक-275537 पटना दिनांक-17/6/16

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

17/6/2016

सचिव